


Not  
Not  
Not  
Not

11/6/17

जायपुर

पत्रावली पेशा / प्रार्थीवकील उ पस्थित / प्रार्थीवकील द्वारा  
 Not pressed पत्रावली में किया गया व बताया  
 गया कि जिस अंतरिम आदेश के Review हेतु  
 उक्त प्रार्थना पत्र लगाया गया था वह अन्तर्  
 निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतिम रूप से निविदि हे चुकें  
 व इस अंतरिम आदेश का कोई महत्व नहीं  
 रहे से ये प्रार्थनापत्र भी उभावहीन हो गया है।  
 अतः लोक अदालत की याचना से यदि यह  
 प्रार्थना पत्र निविदि किया जाता है तो

8



जायपुर एवं प्रार्थीवकील का पता (संलग्न है)  
 जायपुर

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

मे कोई लेखन नहीं। अतः पार्थिवकी पार्थिव  
लोकअदालत केम्प अर्ट की शपथना को देखते हुए  
उक्त पार्थिव पत्र खारिज किया जाता है।

निम्न आज अवलिय राजा केम्प  
बासनी मालियान में सुनाया गया। पत्रावली  
केसबे शुमार ले कर नम्बर ले कम ले कर तमिल  
कारिब पत्र ले।

8

सहायक कलक्टर एवं कार्यवाहक मजिस्ट्रेट (पारस्ट ट्रेक)  
जोधपुर

